खण्ड-12, अंक-1, वर्ष-2024, मु0प्र0 24-31
D.O.I.: https://doi.org/10.22445/avsp.v12i1.5
SJIF (2024) : 8.287

Hunting boxes in Protected Areas and Forests of Rajasthan with special reference to southern part of the state

Satish Kumar Sharma
Rajasthan Forest Service (Retd.)
14-15, Chakriya Amba, Rampura Circle, Jhadol Road
Post -Nai, Udaipur-313 031, Rajasthan, India
sksharma56@gmail.com

Received: 27-08-2024, Accepted: 30-11-2024

Abstract-Hunting boxes and hunting lodges are confined to protected areas and other forested zones of Rajasthan across the state. Presence of these hunting boxes is a sound evidential about the olden days' distribution range of the tigers in the state. These hunting boxes can be used for wildlife census, fire surveillance and eco-tourism activities.

Key words- Rajasthan, protected and other forest areas, hunting boxes

राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों एवं वनों में शिकार औदियाँः राज्य के दक्षिणी भाग के विशेष संदर्भ में

सतीश कुमार शर्मा
राजस्थान वन सेवा (सेवा निवृत्त)
14–15, चकरिया आम्बा, रामपुरा चौराहा, झाड़ोल रोड़
पोस्ट–नाई, उदयपुर–313 031, राजस्थान, भारत
sksharma56@gmail.com

सार– राजस्थान राज्य के संरक्षित क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों में जगह–जगह प्राचीन समय में बनाई गई शिकार औदियाँ एवं शिकार महल विद्यमान हैं। इन औदियों की उपस्थिति प्राचीन समय में बाघ के वितरण क्षेत्र के विस्तार की प्रमाणिक सूचक भी हैं। इन औदियों का संरक्षण किया जाना चाहिए तथा वर्तमान में इन्हें वन्यजीव गणना, अग्नि सूचक कार्य एवं पारिस्थितिक पर्यटन जैसी गतिविधियों से जोड़ना चाहिए।

बीज शब्द– राजस्थान,संरक्षित एवं अन्य वन क्षेत्र, शिकार औदियाँ

1. **परिचय**– अंग्रेजों के आगमन से पूर्व राजस्थान में देशी रियासतों का राज्य था। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को मिला कर राजस्थान राज्य का गठन हुआ। रियासतों के शासक अपनी–अपनी रियासतों में शिकार का शौक पूरा करने हेतु जगह–जगह शिकारगाह के नाम से जंगल सुरक्षित रखते थे। इन शिकारगाहों में वे स्वयं, उनके परिजन व अतिथियों द्वारा बाघ (*Panthera tigris*), तेंदुऐ (*Panthera pardus*), सूअर (*Sus scrofa*), साँभर *(Cervus unicolor)* आदि का शिकार किया जाता था। पश्चिमी राजस्थान में बाघ व तेंदुऐ नहीं थे अतः इस भाग के शिकारगाहों में काला हिरण, चिंकारा, गोडावण, भट्ट, तीतर आदि का शिकार किया जाता था।

प्राचीन समय में शिकार करने के कई तरीके प्रचलित थे जिनमें शिकार औदियों का उपयोग कर आखेट करना एक विशेष विधि थी। विशेष तरह के भवन, जिन्हें बहुत रणनीतिक स्थल (Strategic location) पर बनाया जाता था जिन्हें शिकार औदी, शिकार हौदी या माला कहा जाता था। इन शिकार औदियों का आखेट हेतु प्रयोग किया जाता था। वृक्षों पर मचान बना कर, हाथी की पीठ पर बैठकर या भूमि पर रह कर भी शिकार करने का प्रचलन था। इन विधियों का वहाँ अधिक उपयोग होता था जहाँ शिकार औदियाँ उपलब्ध नहीं होती थी।

शिकार औदियों (Shooting or huntingboxes or shikar odhis) के राजस्थान में अनेकों प्रारूप चलन में थे। दक्षिण राजस्थान का बड़ा

भूभाग, जहाँ मेवाड़ रियासत का क्षेत्र था, अनेक प्रकार की शिकार औदियों का निर्माण तत्कालीन शासकों ने कराया। मेवाड़ के अधिपत्य के क्षेत्रों में जयसमंद, बस्सी, भैंसरोड़गढ़, कुम्भलगढ़, टॉडगढ़–रावली, सज्जनगढ़ शिकारगाह बहुत प्रसिद्ध रही हैं। ये शिकारगाह वर्तमान में वन्यजीव अभयारण्यों के रूप में प्रबंधित की जा रही हैं। इन वर्तमान अभयारण्यों के बाहर अनेक वन क्षेत्रों में भी जैसे नाहरमगरा, पनवाडी, कमोदिया, हिंगलासिया, बाघदडा, बांकी, माछला मगरा, कलेर, छोटा घाटा, होरा, छोटा बेदला आदि उदयपुर शहर के समीपी वन क्षेत्रों में भी जगह – जगह शिकार औदियाँ बनाई गई थी। जयसंमद अभयारण्य में रूठी रानी का महल, हवा महल, ढीमडा बाग जैसे महल भी स्थापित किये गऐ जो विभिन्न कार्यों में उपयोग लिये जाते थे लेकिन आवश्यकता के समय इन्हें शिकार महल (Hunting lodge) के रूप में भी उपयोग किया जाता था। सज्जनगढ़ भी समय–समय पर शिकार महल के रूप में उपयोग किया जाता था। पिछोला झील के किनारे अनेक शिकार औदियाँ बनाई गई थी जिनमें खास औदी एवं वर्तमान कालकामाता पौधशाला में स्थापित नाहर औदी विशेष उल्लेखनीय है।

2. **अध्ययन का उद्देश्य**– राज्य के संरक्षित क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों में जगह–जगह प्राचीन समय में तत्कालीन शासकों द्वारा बनाई गयी शिकार औदियों व शिकार से संबंधित अन्य रचनाओं व पहलूओं का अध्ययन करना न केवल रूचिकर है बल्कि प्राचीन समय के इतिहास एवं वन प्रबन्धन को समझने में भी उपयोगी साबित होता है। अनेक औदियों को वर्तमान समय में पारिस्थितिकी पर्यटन (eco-tourism) से जोड़कर स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकता है। अनेक औदियों को वर्तमान में वन प्रबंधन कार्यों में भी उपयोग लिया जा सकता है। इन्हीं संभावनाओं को जानने हेतु राजस्थान में यह अध्ययन किया गया। जिन –जिन क्षेत्रों में आज शिकार औदियाँ नजर आती है उस संपूर्ण क्षेत्र में तत्कालीन समय में बाघ का वितरण भी रहा हैं। अतः रजवाड़ों के समय में बाघों की वितरण सीमा को जानने हेतु शिकार औदियों का अध्ययन एक उपयोगी टूल की तरह साबित होगा।

3. **प्रयोगात्मक अध्ययन विधि**– अध्ययनकर्ता ने वन विभाग में अपनी राजकीय सेवा सेवा अविधि वर्ष 1980 से 2016 तक राजस्थान राज्य के संरक्षित एवं अन्य वन क्षेत्रों में विद्यमान शिकार औदियों, शिकार महलों, दुर्गों आदि का निरीक्षण किया। भवनों की मंजिलों तथा रणनीतिक स्थलों की जानकारी ली गई। आसपास के धरातल का अध्ययन किया गया। जी.टी. शीटों पर नदी–नालों, ढाल, जल स्त्रोतों, गुफाओ, गेम ट्रेलों आदि के संदर्भ में उनकी स्थिति की उपादेयता को समझा गया। औदियों के आसपास के वनों की बनावट का भी अध्ययन किया गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों इतिहासकारों, पुराने शिकारियों, हाका में भाग लेने वाले लोगों व उनके उत्तराधिकारियों, वन कर्मियों तथा पुरातत्व विभाग से भी संपर्क कर जानकारी ली गई। स्थानीय आदिवासियों से भी संपर्क कर अनेक सूचनाऐं संग्रह की गई।

4. **प्रेक्षण**– अध्ययन के दौरान राजस्थान के संरक्षित व कतिपय अन्य वन क्षेत्रों में विद्यमान शिकार औदियों तथा संबंधित अन्य निर्मित प्राचीन रचनाओं संबंधित सूचनाऐं संग्रह की गई हैं। संरक्षित क्षेत्रों एवं सामान्य वन क्षेत्रों की सूचनाऐं पृथक–पृथक संग्रह की गई हैं। सारणी 1 में संरक्षित क्षेत्रों संबंधित सूचनाऐं प्रस्तुत हैंः

सारिणी–1: संरक्षित क्षेत्रों संबंधित सूचनाएं

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र	जिला	अध्ययन की गई निर्मित संरचनाओ की संख्या (नाम सहित यदि उपलब्ध हैं तो)		
			शिकार औदियाँ	शिकार महल	अन्य
1	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर		भरतपुर शासकों द्वारा कदमकुंज रहने, विश्राम करने एवं शिकार हेतु उपयोग किया जाता था तथा शान्ती कुटीर हथियार रखने, शिकार करने व रहने हेतु उपलब्ध रहता था	

2	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान	सवाई माधोपुर	बकोला–बेरदाह नाले का माला		2 लोहे के बने टावर जिन्हें स्थानीय बोली में ''दाव'' कहते हैं, जो शिकार एवं बाघों की स्थिति जानने हेतु उपयोग होते थे
3	मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान	कोटा	झामरा की चौकी माला, दामोदर पुरा माला, अम्बापानी माला, बेवडा बावडी माला, रावठा (जनाना) माला, रावठा (मर्दाना) माला, भीमडा बावडी माला, गढ्ढे का माला, दरा माला, कोलीपुरा माला, फूट तालाब माला		
4	जयसमंद अभयारण्य	उदयपुर	कालकी औदी, हथनी वाली औदी, गढवाली औदी, कुवैशिया औदी, बोडा मगरा औदी, मैयावाली औदी, गमघर या धामघर (धामन्दर) औदी, सलाड़िया कोट औदी, चाटपुर या धूणी वाली औदी, लाल औदी	ढीमड़ा बाग	हवा महल एवं रूठी रानी का महल भी शिकार एवं संबंधित सहायक गतिविधियो हेतु उपयोग होते थे
5	बाघ परियोजना सरिस्का (अभयारण्य)	अलवर	बाँदीपुल औदी, तारून्डा औदी, कालीघाटी औदी, घामोड़ी औदी, सीली बेरी औदी, टूडा औदी		बालाकिला व काँकवाड़ी किला भी शिकार के लिए सीमित रूप में उपयोग लिऐ जाते थे
6	कुम्भलगढ़ अभयारण्य एवं आस–पास के क्षेत्र	उदयपुर, पाली, राजसमंद	काली हौदी, बेड़ाका थाक औदी, सेली नाल की औदी, पक्की औदी, खोबा का गुडा औदी, कालाटूक औदी, छोटी औदी, रातडिया औदी, महारानी बाग औदी (अभयारण्य से बाहर)		
7	जमवा रामगढ अभयारण्य	जयपुर	हवा औदी, टाईगर पोइन्ट औदी	हंटिग लॉज (जो अब होटल के रूप में संचालित है)	
8	सवाई मानसिंह अभयारण्य	सवाई माधोपुर			2 ''दाव'' अलग–अलग जगह लगे हैं जिनमें एक पाण्डा का ताल में स्थित है। ये दाव शिकार एवं बाघो की स्थिति जानने हेतु उपयोग होते थे

9	नाहरगढ अभयारण्य	जयपुर	जयगढ़ तिराहा औदी, रामसागर औदी, गंगा विलास औदी, गोपाल विलास औदी	मायला बाग	
10	सज्जनगढ अभयारण्य	उदयपुर	8 औदियाँ अलग – अलग स्थानों पर स्थित हैं	सज्जनगढ़ महल जिसमें जनाना एवं मर्दाना महल शामिल हैं	
11	टॉड़गढ़– रॉवली अभयारण्य	राजसमंद, पाली, अजमेर	कटान्दरा औदी		
12	शेरगढ अभयारण्य	बारां	सूरपा माला, नाहरियामाला		
13	बस्सी अभयारण्य	चित्तौडगढ़	आमझरिया औदी, बोखडिया औदी		
14	फुलवारी की नाल	डदयपुर	शिकार औदियाँ अनुपस्थित		
15	भैंसरोड़गढ़	चित्तौडगढ़	शिकार औदियाँ अनुपस्थित		
16	सीतामाता	चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर	शिकार औदियाँ अनुपस्थित		
17	मरू राष्ट्रीय उद्यान (अभयारण्य)	जैसलमेर एव बाड़मेर	शिकार औदियाँ अनुपस्थित		
18	तालछापर अभयारण्य	चूरू	शिकार औदियाँ अनुपस्थित		
19	वन विहार अभयारण्य	धोलपुर		वन विहार कोठी	
20	केसर बाग	धोलपुर		यहाँ विद्यमान महल रहने, विश्राम करने एवं शिकार हेतु उपयोग होता था	
21	बंध बारेठा	भरतपुर		बंध बारेठा महल रहने, विश्राम करने एवं शिकार हेतु उपयोग होता था	
22	आबू पर्वत अभयारण्य	सिरोही	ट्रेवर्स टेंक के पास एवं सालगाँव गुरूकुल के पास औदियाँ स्थित हैं		

राजस्थान के अभयारण्यों व राष्ट्रीय उद्यानों के अतिरिक्त अन्य वन क्षेत्रों में भी बाघ व तेदुऐं निवास करते थे जिनके शिकार हेतु तत्कालीन समय के राजा–महाराजाओं द्वारा बनायी गई अनेक औदियाँ आज भी विद्यमान हैं यद्यपि अनेक नष्ट भी हो चुकी हैं। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित प्राचीन शिकार औदियाँ व विशेष रचनाओं की जानकारी नीचे प्रस्तुत हैं:

सारिणी–2: वन क्षेत्रों में विद्यमान शिकार औदियों संबंधित सूचनाएं

क्र. सं.	नाम वन क्षेत्र	जिला	औदियों की संख्या / नाम	महल / अन्य रचनाऐं
1	बर्डोद रूँध	अलवर	–	रूँध में स्थित शिकार महल लोहे व लकडी से बनाया गया है
2	आमागढ़ लैपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व	जयपुर	–	रघुनाथगढ़ (चोर घाटी में स्थित एक छोटा महल)
3	कंजर्वेशन रिजर्व बाघदड़ा	उदयपुर	भाटावाली औदी, जनाना औदी, लीलकी औदी	सूअरों को दाना देने हेतु एक बड़ा चबूतरा भी जनाना औदी के पास विद्यमान
5	पनवाड़ी वन क्षेत्र	उदयपुर	1	–
6	कमोदिया वन क्षेत्र	उदयपुर	4	–
7	हिंगलासिया वन क्षेत्र	उदयपुर	1	–
8	बांकी व आसपास	उदयपुर	5	–
9	माछला मगरा एकलिंगगढ़	उदयपुर	4	
10	कलेर वन क्षेत्र	उदयपुर	5	
11	छोटा घाटा वन क्षेत्र	उदयपुर	1	
12	होड़ा वन क्षेत्र	उदयपुर	1	
13	छोटा बेदला वन क्षेत्र	उदयपुर	3	
14	अम्बावेरी धूणी क्षेत्र (डबोकके पास)	उदयपुर	1	
15	हीरा तलाई (बलीचा के पास)	उदयपुर	1	
16	होटल ट्राईडैन्ट एव उदयनिवास के पास	उदयपुर	खास औदी	
17	देलवाडा गाँव के पास	उदयपुर	1	
18	नया नगर वन खण्ड, रेंज माण्डलगढ़	भीलवाडा	डामटी शिकार औदी	
19	मेजा बाँध के पास	भीलवाडा	1	
20	गोतमेश्वर महादेव अर्नोद	प्रतापगढ	1	
21	डेट रेलवे स्टेशन के पश्चिम मे स्थित वन क्षेत्र	भीलवाडा	1	
22	नाहरमगरा	उदयपुर	4	
23	सेगरिया वन क्षेत्र	उदयपुर	1	
24	बडा मगरा (मोटा मगरा, उदयसागर के समीप)	उदयपुर	1	
25	सेमलपुरा नाका क्षेत्र	चित्तौडगढ़	हथनी औदी	
26	नारा मगरा	डूँगरपुर	1	
27	उदयविलास महल के समीप	डूँगरपुर	बल्लाबारी औदी	
28	टाइगर हिल	डूँगरपुर	1	

5. **विश्लेषण**– स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देशी रियासतें जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बाँसवाडा, डूँगरपुर, बूँदी, झालावाड, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, अजमेर–मेरवाडा, उदयपुर, आबू एवं सुनेल टप्पा को मिला कर वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ। तत्कालीन रियासतों के अपने–अपने वन क्षेत्र, शिकारगाह, घास बीड आदि होते थे। रियासतों के शासक अपने–अपने क्षेत्रों में शिकार का आनंद लेने के लिये वनों व शिकारगाहों में स्थाई रचनाऐं जैसे शिकार औदी या शिकार महल बनवाते थे (**चित्र–1**)। शिकार औदी व शिकार महल बनाने हेतु स्थल का चयन बहुत सोच–समझ कर किया जाता था। उनको ऐसी जगह बनाते थे जहाँ बाघ व तेंदुओं का निवास हो तथा दूर तक ठीक से देखने की सुविधा हो। अतः औदियों को ऊँचे स्थानों या पठार पर बनाया जाता था। प्रायः सँकरी घाटियों एवं एकदम खड़े तट पर औदियाँ नहीं बनाई जाती थी। यदि बनाई भी जाती थी तो किसी विशाल व अडिग चट्टान पर ही बनाई जाती थी।

विशाल वृक्षों के कुंजों के बीच भी औदियाँ नहीं बनाई जाती थी। औदियों को झाडीदार क्षेत्र या कम घने क्षेत्र या कम ऊँचाई के वृक्षों वाले क्षेत्रों में बनाया जाता था ताकि चारों तरफ का दृश्य भलीभांति देखा जा सके तथा बाघों व तेंदुओं को मारने हेतु सटीक निशाना लगाया जा सके। कई बार प्राकृतिक जल स्त्रोतों के आस–पास भी औदियाँ बनाई जाती थी ताकि पानी पीने आने वाले बाघों व तेंदुओं को ढूँढने में आसानी रहे, जैसे सज्जनगढ़ अभयारण्य की ''झर औदी''। शिकार औदियाँ आकार में छोटी होती हैं लेकिन शिकार महल आकार में बड़े होते हैं। शिकार औदियों में रात्रि निवास व सुख–सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होती थी लेकिन शिकार महलों में खाने–रहने एवं रात्रि निवास की सुविधाऐं उपलब्ध रहती थी या शिकार आयोजन के दौरान सुविधायें जुटा दी जाती थी। शिकार औदियों व शिकार महलों के कुछ स्वरूप निम्न हैं:

5.1 शिकार औदियाँ

5.1.1 **चबूतरेनुमा शिकार औदियाँ**– ये चबूतरे के आकार की खुली प्लेटफार्म प्रकार की औदी होती हैं। इन पर चारों तरफ सुरक्षा व औझल रहने हेतु मुंडेर बनाई जाती थी। इन औदियों को शिकार आयोजन के अलावा हाके के दौरान बाघ व तेदुऐ के चलने की दिशा की जानकारी जुटाने में भी उपयोग किया जाता था। ऐसी जानकारी ऊँचे वृक्ष पर चढ़ कर भी जुटाई जाती थी।

5.1.2 **एक मंजिली एवं एक कक्षीय शिकार औदी**– इस तरह की औदियों में एक चबुतरेनुमा प्लेटफार्म बनाकर उस पर एक कक्षनुमा औदी बनायी जाती थी। कक्ष में जाने हेतु सीढियाँ बनाई जाती थी। ये औदियाँ चौकोर, वर्गाकार, गोलाकार या कुछ–कुछ अण्डाकार बनाई जाती थी। कक्ष के चारों दीवारों पर अलग– अलग ऊँचाई पर बन्दूक से बाहर फायर करने हेतु मौखियाँ बनाई जाती थी। अन्दर की तरफ से मौखियाँ छोटी प्रतीत होती थी लेकिन बाहर की तरफ अपसारी (divergent) ढाल दिये जाने से वे काफी चौड़ी प्रतीत होती थी। इस डिजाइन के कारण अन्दर बन्दूक की बैरल डाल कर उसे किसी भी कोण पर घुमा कर निशाना साधा जा सकता था। कई बार मौखियाँ दो तरह की बनाई जाती थी। एक वे, जिनमें ढाल कम होता था। इनसे दूर निशाना साधा जाता था। दूसरी जिनमें ढ़ाल बहुत ज्यादा होता था, इनमें निशाना औदी के बहुत पास लगाया जा सकता था। दोनों तरह की मौखियाँ एक पंक्ति में या एक से अधिक पंक्ति में एकान्तरित रूप से बनाई जाती थी। सज्जनगढ़ अभयारण्य में मानसून पैलेस जो 930 मी समुद्र तल से ऊँचाई पर स्थित है। यह महल वस्तुतः मनोरंजन महल के साथ–साथ एक शिकार महल की तरह भी प्रयोग किया जाता था। इस महल के दक्षिण–पूर्वी कोने में पत्थर का एक बड़ा मजबूत खूटाँ महल से थोड़ी दूर गड़ा हुआ है जिसमें एक छिद्र है। इस खूँटे से तत्कालीन समय में बकरा या पाडा बेट(Bait) के रूप में बाँधा जाता था ताकि बाघ या तेंदुऐ का शिकार किया जा सके या शिकार करने आये प्राणी को शिकार करते हुये देखने का आनंद लिया जा सके। मौखियों के अनेक रूप औदियों में देखने को मिल जाते हैं।

1.**एक मंजिली बहुकक्षीय शिकार औदी**– ये शिकार औदी यद्यपि एक मंजिली होती थी लेकिन इनमें कई कक्ष होते थे।

2. **बहु मंजिली बहुकक्षीय शिकार औदी**– इन औदियों में एक से अधिक मंजिल होती थी तथा कक्ष भी बहुत सारें होते थे। इनमें सीढियाँ अन्दर की तरफ बनाई जाती थी ताकि एक मंजिल से दूसरी मंजिल में स्थित कक्षों मे आने–जाने पर बाहर से कुछ दिखाई नहीं पड़े। उदयपुर वन मण्डल के बाँकी रिजर्व वन क्षेत्र में ऐसी ही एक औदी दर्शनीय है।

3. **अर्धभूमिगत औदी**– ऐसी औदियाँ जमीन में गड्ढ़ा खोदकर बनाई जाती थी जो गर्मी में ठण्डी रहती थी। ये आंशिक भूमिगत व आंशिक

बाहर उभरी हुई प्रतीत होती थी। उदयपुर वनमण्डल की कालकामाता पौधशाला में नाहर औदी ऐसी ही एक औदी है। इस औदी में दीवारों पर अन्दर की सतहों पर तत्कालीन वन क्षेत्र एवं उनमें रहने वाले वन्य प्राणियों का चित्रांकन किया गया है। इस औदी की दीवारों की पेन्टिंग में बाघ की पहाड़ियों में जगह–जगह उपस्थिति उकेरी गई है जो वन्यजीवों की तत्कालीन स्थिति की परिचायक हैं। इस औदी की दीवारों में चित्रित प्राणियों में बाघ व चिंकारा वर्तमान में उदयपुर शहर के पास विलुप्त हो चुके हैं।

4. **उद्यान शिकार लॉज**– नाहरगढ़ का मायला बाग तथा जयसमंद अभयारण्य का ढीमडा बाग इसके उदाहरण हैं। इस तरह के शिकार लॉजों में ऊँचा परकोटा, परकोटे में घिरा हुआ उद्यान, कुंआ, शिकार कार्य एवं रहने–ठहरने हेतु महल आदि उपलब्ध रहते थे। कई जगह शिकार लॉज तो बनाये जाते थे लेकिन उनको उद्यान का स्वरूप नहीं दिया जाता था। अलवर जिले में बर्डोद की रूँद में ऐसा ही शिकार महल विद्यमान हैं। नाहरगढ़ अभयारण्य में रामसागर औदी, गंगा विलास औदी एवं गोपाल विलास औदी छोटे महलों का ही रूप लिये हुऐ हैं।

5. **संघर्ष दर्शन महल**–ये विशेष प्रकार की शिकार औदियाँ होती थी जो प्रायः अधिक मंजिल की होती थी। इन्हें प्रायः महल ही कहा जाता था। इनमें ऊँची चार दिवारी से घिरा एक खुला दंगल होता था जिनमें बाघ व सूअर को खुला छोड़ कर या दो बाघों को खुला छोड़ कर उनके संघर्ष को देखने हेतु राजपरिवार के सदस्य उपस्थित हुआ करते थे। उदयपुर में हरिदास जी की मगरी क्षेत्र में ''मोती महल '' भी एक ऐसा ही महल है। इस महल में एक शताब्दी पूर्व दीवार पर एक पेन्टिंग बनाई गई थी जिसमें बाँसदर्रा (बाँसदड़ा) पहाड़ी में भालू की उपस्थिति दिखाई गई है लेकिन वर्तमान में भालू बाँसदर्रा व आस–पास की पहाड़ियों में कहीं नहीं है। वर्तमान में बाँसदर्रा को सज्जनढ़ के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन समय में बाँसदर्रा में जैसा नाम से विदित है बाँस के जंगल हुआ करते थे जो अब लगभग समाप्त प्रायः हो चले हैं।

प्राचीन समय में रानियों एवं राजकुमारियों हेतु पृथक शिकार औदियाँ भी बनवाई जाती थी। उदयपुर के पास बाघदर्रा में ''जनानी औदी'' बहुत प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ अभयारण्य में स्थित महल में भी आधा भाग ''जनाना महल'' के नाम से जाना जाता है। दक्षिण राजस्थान में कभी बाघों की अच्छी संख्या विद्यमान थी।[2] उदयपुर शहर के आस–पास से लेकर चारों दिशाओं में, खासकर कुंभलगढ़, बस्सी, भैंसरोड़गढ़, जयसमंद, सज्जनगढ़, नाहर मगरा, देलवाड़ा, माँडलगढ़, कलेर वन, मेजाबाँध, एकलिंग गढ़ (माछला मगरा), बाघदड़ा, उदयनिवास, हिंगलासिया, सेगरिया, डेट (भीलवाड़ा) आदि जगहों पर बाघों, तेंदुओं, सुअरों, साँभरों आदि का शिकार हेतु तत्कालीन महाराणाओं का आना–जाना होता था[3]। इन जगहों में उपयुक्त स्थानों पर शिकार औदियाँ या शिकार महल बनाये गये ताकि उनका उपयोग शिकार हेतु किया जा सके। शिकार महलों का उपयोग अल्पकालीन प्रवास, मनोरंजन, प्रशासन, शिकारगाह प्रबंधन आदि हेतु भी किया जाता था। इन क्षेत्रों में से आजादी के बाद कुछ को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। हालाँकि दक्षिण राजस्थान में 1970 से 1980 के मध्य बाघ विलुप्त हो गया लेकिन जगह–जगह स्थित शिकार औदियाँ एवं शिकार महल पुरानी स्थिति के प्रमाण स्वरूप आज भी मौजूद हैं (शर्मा 2014, 2015 अ, 2015 ब)। ये सभी प्रमाण प्राचीन समय में बाघ का रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर राजस्थान के शेष भाग में अरावली पर्वतमाला से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला में वितरण को प्रमाणित करते हैं। भले ही आज रणथम्भोर एवं सरिस्का को छोड़कर बाघ राजस्थान में कहीं नहीं है परन्तु शिकार औदियाँ एवं उनके अवशेष इस तथ्य के परिचायक हैं कि जहाँ–जहाँ शिकार औदियाँ हैं वहाँ–वहाँ प्राचीन समय में बाघ उपस्थित थे।

6. **निष्कर्ष**– राजस्थान के विभिन्न अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में विद्यमान शिकार औदियों, शिकार महलों एवं लोहे से बने मचानों की सूचना **सारिणी–1** में अंकित है। सारिणी से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित मरू राष्ट्रीय उद्यान एवं तालछापर अभयारण्य में कोई शिकार औदी विद्यमान नहीं है। इस क्षेंत्र में बाघ एवं तेंदुऐ अनुपस्थित थे अतः शिकार हेतु औदियों की जरूरत नहीं थी। दक्षिणी राजस्थान में फुलवारी की नाल, सीतामाता एवं भैसरोडगढ़ में सघन वन थे एवं बाघों की भी उपस्थिति थी फिर भी यहाँ शिकार हेतु औदियाँ उपलब्ध नहीं हैं।

दक्षिणी राजस्थान में जयसमंद, बस्सी, सज्जनगढ, कुंभलगढ़ एवं टॉडगढ़–रावली अभयारण्य में शिकार औदियाँ विद्यमान हैं क्योंकि ये शिकार के प्रमुख स्थल रहे हैं। उदयपुर शहर के चारों तरफ 15 किलोमीटर के त्रिज्या क्षेत्र के घेरे में पनवाड़ी, कमोदिया, हिंगलासिया, बाँकी, माछला मगरा एकलिंगगढ़, कलेर, छोटा घाटा, होरा, छोटा बेदला, आम्बावेरी धूणी, हिरा तलाई, देलवाड़ा आदि क्षेत्र भी बाघों के लिए प्रसिद्ध थे। इन क्षेत्रों में बाघों के लिए अच्छा आवास, पानी, भोजन एवं प्रजनन हेतु उपयुक्त स्थल विद्यमान थे लेकिन अंधाधुंध शिकार ने

बाघों को कभी का समाप्त कर दिया है। अभयारण्यों से लेकर आरक्षित वन क्षेत्रों में जहाँ भी प्राचीन शिकार औंदियाँ विद्यमान हैं इनका उपयोग पारिस्थितिकी पर्यटन, वन्यजीव गणना, अग्नि टॉवर आदि के रूप में करना चाहिये। जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग वन चौकी के रूप में भी किया जा सकता है। औदियों का उपयोग करने से उनका संरक्षण भी संभव हो सकेगा। औदियों का प्रमाणिक इतिहास खोज कर उनके पास उचित डिजाइन किये बोर्ड भी प्रदर्शित किये जाने चाहिये।

6.**आभार**– लेखक डॉ. एन. सी. जैन (तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक), श्री राहुल भटनागर (तत्कालीन उप वन संरक्षक) एवं श्री वाई. के. साहू (तत्कालीन उप वन संरक्षक) द्वारा मार्गदर्शन देने एवं अध्ययन में सहयोग देने हेतु उनका बहुत आभारी है।

References

1. Sharma, S. K. (2014) Some aspects related to Tiger (*Panthera tigris*) in the historical perspective of South Rajasthan. *Anusandhan* Vigyan Shodh Patrika, 2 (1): 9-17.
2. Sharma S.K. (2015a) Toadgarh- Raoli Wildlife Sanctuary: Some historical facts about the presence of tigers during last sanctuary. *Anusandhan* (*Science Research Journal*), 3 (1): 1-5.
3. Sharma S.K. (2015 b) A study of status of wild animals of Bundi district (Rajasthan) from 1950 to 1980. *Anusandhan* (*Science Research Journal*), 59 (1): 39-44.

चित्र–1 डूंगरपुर जिले में एक प्राचीन शिकार औदी